

राजस्थान आवासन मण्डल

लॉटरी सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त उदयपुर के अन्तर्गत बांसवाड़ा शहर की शास्त्री नगर आवासीय योजना के "पंजीकरण योजना-2020" के तहत वरीयता में सफल आवेदको, जिनको आरक्षण पत्र जारी किए जा चुके हैं और जिन्होंने आरक्षण पत्र की राशि जमा करा दी है, जिनमें "शास्त्री नगर, बांसवाड़ा के "आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग" के 04 आवास, "मध्यम आय वर्ग" के 02 आवास कुल 06 स्वतन्त्र आवासों एवं अन्य आवासों का उनकी वरीयता के आधार पर आवास का आवंटन कम्प्युटर से लॉटरी द्वारा रेण्डम प्रणाली से कोटे अनुसार दिनांक 07.10.2022 को दोपहर 03.00 बजे निश्चित की गई है। आवास आवंटन की लॉटरी कार्यक्रम विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कार्यवाही विवरण	दिनांक, समय एवं स्थान
1	अस्थायी सूची प्रकाशन की तिथि	27.09.2022 दोपहर 12.00 बजे
2	अस्थायी सूची पर आक्षेप प्राप्त करने की अंतिम तिथि	30.09.2022 दोपहर 2.00 बजे तक
3	योग्य आवेदकों की अंतिम स्थायी सूची का प्रकाशन	04.10.2022 सायं 4.00 बजे
4	आवास एवं/फ्लेट आवंटन की तिथि	07.10.2022 दोपहर 03.00 बजे
5	स्थान	कार्यालय परियोजना अभियंता(वरिष्ठ), राजस्थान आवासन मण्डल, शास्त्री नगर, बांसवाड़ा

नोट:- (1) पूर्व ग्रहण राशि की कम से कम एक किस्त जमा करवाकर चालान की फोटो प्रति आक्षेप प्राप्ति की दिनांक 04.10.2022 को दोपहर 2.00 बजे तक प्रस्तुत कर दी जाएगी, इन्हे ही लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। (2) यदि कोई आवेदक वांछितानुसार सूचना कार्यालय में नहीं देने के कारण प्रस्तावित लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। (3) इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। (4) अस्थाई सूची व स्थायी सूची एवं वरियता लॉटरी की सूची राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाइट <https://urban.rajasthan.gov.in/rhb> पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार उपलब्ध रहेगी। (5) लॉटरी में अध्यक्ष, जिला आवंटन समिति का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।

Sarwad/C/8169/2022-23

आवासीय अभियंता, खण्ड इंगरपुर

23/9/2022 - 23/9/2022